सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 37 राँची, मंगलवार, 3 माघ, 1939 (श०)

23 जनवरी, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-32/2016-149/लेज० -- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

<u>बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम, 2016</u>

(झारखण्ड अधिनियम 23, 2017)

<u>विषय-सूची</u>

धारा ।

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

(2) बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में संशोधन ।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनयम, 2016

(झारखण्ड अधिनियम 23, 2017)

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में संशोधन हेतु अधिनियम ।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को 67 वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :-
   - i. यह अधिनियम बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायगा ।
   - ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   - iii. यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. धारा- 3(3) में संशोधन :-

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में "सर्टिफिकेट ऑफिसर" को निम्नांकित रूप से परिभाषित कर प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
"सर्टिफिकेट अफसर से तात्पर्य है समाहर्त्ता, अनुमण्डल-पदाधिकारी और राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवा निवृत्त पदाधिकारी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, सर्टिफिकेट ऑफिसर का कार्य सम्पादित करने के लिए आयुक्त की स्वीकृति से समाहर्त्ता द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-32/2016-150/लेज० -- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-14/11/2017 को अनुमत का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम, 2016 झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Bihar and Orissa Public Demand Recovery (Jharkhand-Amendment) Act, 2016 (Jharkhand Act No. 23, 2017)

Index

Section.

1. Short title, extent and commencement.

2. Amendment of section 3(3) of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914.

Bihar and Orissa Public Demand Recovery (Jharkhand-Amendment) Act, 2016 (Jharkhand Act No. 23, 2017)

An Act for Amendment of Section 3(3) of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914.

Be it enacted by the legislature of the state in the 67th year of Republic of India as follows –

1. Short title, extent and commencement –

   i. This Act may be called Bihar And Orissa Public Demand Recovery (Jharkhand-amendment) Act, 2016.
   ii. It shall extend to the whole of the state of Jharkhand.
   iii. It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in the official Gazette.

2. Amendment in Section- 3(3) –

   Certificate officer is defined and substituted for Section – 3(3) of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914 as follows–

"Certificate officer means a Collector, a Sub-Divisional Officer and any Officer of the State Government or any retired officer of the State Government or Central Government not above the age of 65 years, appointed by the Collector, with the sanction of the Commissioner, to perform the functions of a certificate officer."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 37 -- 50